बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री आदेश तितरमारे,भा.प्र.से., नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को समर्पित सुझाव

– राजधानी का Drainage System काफी पुराना हो गया है जिसकी स्थिति से सभी अवगत हैं। पटना के बहुत सारे पुराने/नये इलाके विशेष कर पटना सिटी के क्षेत्र एवं पटना के श्रीकृष्ण नगर, किदवईपुरी, राजेन्द्र नगर तथा कंकड़बाग जैसे पुरानी कॉलोनियों में इस समस्या के निराकरण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने चाहिए । जहॉ आवश्यकता हो वहॉ नया Drainage System को अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय सीमा के अन्दर स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है । Proper Linkage of Drains अथवा Alternate Drain System स्थापित कर इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है । कुछ नये बने नालों में बिना ईंट, गिट्टी हटाये उस ढक दिया गया है, फलस्वरूप पानी का निकास नहीं हो पाता है । पटना के विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई का सघन अभियान निगम द्वारा यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

– कूड़े–कचरे के ढेर के कारण कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पटना राजधानी है । यद्यपि निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का काम किया जाता है परन्तु इसकी व्यवस्था पूर्णत: अपर्याप्त एवं असंतोषजनक है । अत: पटना को साफ एवं स्वच्छ रखने के संबंध में हमारा सुझाव निम्न है :–

* राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े फेकने की निश्चित स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा वहॉ पर कचरा डालने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

* उक्त स्थलों पर कचरा डालने का समय, इसे उठाने का समय आदि से संबंधित बोर्ड लगाकर आमलोगों को सूचित किया जाना चाहिए और यदि निर्धारित समय के बाद कचरा डाला जाता है तो दण्ड के प्रावधान तय कर उसे भी उक्त बोर्ड पर प्रचारित किया जाना चाहिए । इसे सख्ती से लागू करने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा सकता है । प्रथम फेज में सीसीटीवी कैमरा वैसे इलाके में लगाया जाए जहॉ के निवासी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बिजली तथा उपयुक्त स्थान उपलब्ध करा सकें । साथ ही सफाई से संबंधित पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं उनका मोबाइल नम्बर भी बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए ।

* संबंधित क्षेत्रों के सम्मानित नागरिकों द्वारा सफाई व्यवस्था की निश्चित समय अवधि पर Certification कराया जाए ।

क्रमश: 2

* पटना नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूर्णरूपेण चुस्त–दुरूस्त नहीं है अत: सुझाव है कि प्रत्येक वार्ड में स्थानीय निवासियों में से 5 आदमियों की एक कमिटी बनायी जाए, जो निगम की साफ–सफाई का Monitoring कर सकें तथा समय–समय पर वरीय अधिकारियों को भी वस्तु स्थिति से अवगत करा सकें ।

– वर्तमान में पटना नगर के कुछ क्षेत्रों में ही कूडेदानों की व्यवस्था हो पायी है । अत: नगर के हर क्षेत्र में कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराया जाना चाहिए ।

– निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का कार्य वर्त्तमान में प्रात: काल से प्रारम्भ किया जाता है परन्तु व्यवहारिक रूप से यह काम दिनभर चलता रहता है जिससे सड़कों पर आवागमन अवरूद्ध होता है फलस्वरूप लोगों को काफी परेशानियॉ उठानी पड़ती है। साथ ही ट्राफिक के कारण सफाई कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है । अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि सफाई कार्य प्रात: काल से कुछ पूर्व प्रारम्भ हो तथा सड़कों पर अधिक आवागमन की अवधि से पूर्व ही संपन्न हो जाए ।

– पटना नगर निगम को Garbages and Wastes से बायों फर्टिलाइजर्स तैयार करने के प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए । ऐसी परियोजना Public Private Partnership के आधार पर स्थापित एवं कार्यशील की जा सकती है।

– शहर के क्षेत्रों एवं सड़कों से आवारा पशुओं, सुअरों एवं कुत्तों इत्यादि को दूर रखने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे जानवर लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुॅचाते है, गंदगी बढ़ाते है एवं महामारी के कारक होते हैं ।

– शहर की अधिकांश सड़कों पर विचरण करनेवाले जानवरों एवं पशुओं पर लगाम कसने या उन्हें पकड़कर कॉजी हाउस में बन्द करने जैसी व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे कि इन जानवरों की वजह से आय दिन होनेवाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।

– ऐसा देखा जाता है कि पटना नगर निगम के ज्यादातर कूड़ा उठानेवाला ट्रैक्टर जब तक कूड़ा उठाते रहते हैं अपना ट्रैक्टर स्टार्ट ही रखते हैं । इस संबंध में ज्ञात हुआ कि गाड़ी में बैट्री नहीं रहने के कारण बन्द कर देने पर धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है । इसके चलते ईंधन की खपत अधिक होती है और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । अत: इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है

– पटना के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहॉ नाले के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं रहने या निकास ब्लॉक रहने से आसपास के घरों एवं सड़क पर गन्दा पानी फैल जाता है जिससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है । साथ ही जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है । बार–बार मौखिक या लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जैसे – बेली रोड में जगदेव पथ के पास उत्तम प्लेस के सामने जो रोड गया है उसमें तथा रोड नं 26, एस. के. नगर पटना इत्यादि ।

क्रमश: 3

– पटना में बहुमंजली भवन के विकास की काफी संभावना है । आवश्यकता केवल इस बात की है कि निर्माण नियमानुसार किया जाए । बहुमंजली भवन बनने वाले क्षेत्रों में Drainage System, Water line तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए । बहुमंजली भवन बननेवाले स्थलों के निवासियों एवं आने–जानेवालों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए निर्माण सामग्रियों को समुचित तरह से रखने की व्यवस्था करनी चाहिए । साथ ही Noisy Pollution या अधिक आवाज से होनेवाले परेशानियो पर अंकुश लगाने के लिए रात के समय में निर्माण कार्य को जहॉ तक संभव हो Discourage करना चाहिए ।

भवन निर्माताओं को भी आवश्यक नागरिक सुविधाएं यथा – पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष लगाना, सही तरीके से Drainage System एवं Water Line की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ गन्दे पानी एवं मल के निकास का समुचित प्रबंध करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जा सकता है ।

<u>अन्य सुझाव</u>

– शहर के विभिन्न इलाकों के पार्कों में रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की कमी है । कुछ पार्क तो कूड़ा–कचड़ा जमा करने के मैदान अथवा चारागाह बन कर रह गये है। पटना के सभी पार्कों की रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है; विशेषकर वैसे पार्कों की जो आवासीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। उदाहरणार्थ – पटना का श्रीकृष्णा नगर अवस्थित पार्क । इस पार्क के चारो तरफ की सड़क की पूरी तरह से मरम्मती की आवश्यकता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति राजेन्द्र नगर के पाटलिपुत्रा पथ पार्क एवं नगर के विभिन्नों क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों की भी है जहॉ समुचित रख–रखाव की नितान्त आवश्यकता है ।

– सड़कों के नाम की पट्टी, सभी सड़कों के आरंभ एवं अंतिम छोर पर लगाइ जानी चाहिए ताकि पटना से बाहर के आगन्तुकों को सुविधा हो ।

– निगम के सभी कार्यालयों एवं अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का कार्य त्वरित रूप से किया जाना चाहिए । जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत कर On Line Certificates जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए इससे व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ।

– पटना नगर निगम की शाखा कार्यालय सभी वार्डों में स्थापित होने चाहिए। जिसमें पटना नगर निगम / नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

– शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुव्यवस्थित ऑटो–रिक्शा एवं टैक्सी स्टैण्ड की स्थापना होनी चाहिए। टैक्सी/ऑटो रिक्सा चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी अनिवार्य किया जाना चाहिए । पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर निःशुल्क एवं सशुल्क पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

क्रमशः 4

– सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह–संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

– जैसाकि आपसभी जानते हैं मौर्या लोक पटना का एक सर्वाधिक लोकप्रिय बाजार प्रांगण हैं जिसमें काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के दुकानों के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई एक कार्यालय भी अवस्थित हैं परन्तु इसके भवन के साथ–साथ अन्य नागरिक सुविधाएं एवं लिफ्ट तथा सड़क की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों ने इस ओर आपका ध्यान भी आकृष्ट करवाया है । इस संबंध में मौर्या लोक शोपकीपर कल्याण समिति से प्राप्त विस्तृत ज्ञापन आपके सेवार्थ समर्पित हैं ।

साथ ही पटना नगर निगम से संबंधित समस्या एवं सुझाव के संबंध में पटना के विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित कर रहे हैं ।

पटना
दिनांक : 9 मार्च 2013